संख्या-49/2016/2129/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।।

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2016

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अति कुपोषित बच्चों हेतु हौसला फीडिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-622/बा0वि0परि0/लेखा/2016-17, दिनांक 13.07.2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु शासनादेश संख्या-41/2016/2000/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.1 दिनांक 08.07.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि रूपये 1,25,00.00 लाख के सापेक्ष 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों को घी उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-44/2016/2001(2)/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।।, दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 12.07.2016 के प्रस्तर-1 में अंकित "06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों को घी उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने" के स्थान पर "06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों को घी उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने एवं उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराने" पढ़ा जाय। उक्त के अतिरिक्त पृष्ठांकन में अन्य के साथ ही प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ को भी पढ़ा जाए।

3. उक्त शासनादेश संख्या-44/2016/2001(2)/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।।, दिनांक 12 जुलाई, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-49/2016/2129(1)/60-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त लेखा अनुभाग-1।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in